न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V, ... एच०जे०एस०

(J.O. Code- UP 6546)

1– सत्र परीक्षण संख्या 229 सन 2012

(CNR No. UPFT-01002986 2012)

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष

प्रति

1. मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां पुत्र अतहर हुसैन (दौरान विचारण मृत)
2. साहिद रजा पुत्र अतहर हुसैन

   निवासी पट्टी शाह थाना हथगांव जिला फतेहपुर।
3. शरीफ पुत्र रसीद (दौरान विचारण मृत)
4. सगीर पुत्र जहूर (दौरान विचारण मृत)
5. खतीफ पुत्र शरीफ
6. रुकनुद्दीन पुत्र जमालउद्दीन

   निवासीगण ग्राम अकबरपुर चौराई थाना हथगॉव जिला फतेहपुर।
7. जावेद पुत्र इदरीश
8. मुनव्वर पुत्र रौनक अली
9. असगर अली पुत्र रौनक अली
10. मंसूर पुत्र मकदूम
11. गुड्डू सिंह पुत्र रज्जन सिंह

12. सलमान पुत्र मजहर हैदर नकवी
13. सिकन्दर पुत्र मजहर हैदर नकवी
    निवासीगण पट्टीशाह थाना हथगॉव जनपद फतेहपुर।
14. अमीन पुत्र हातिम हुसैनी (दौरान विचारण मृत)
15. मोबीन पुत्र हातिम हुसैनी
16. मसरुर पुत्र हातिम हुसैनी
    निवासीगण म०नं०–91 महाजरी थाना कोतवाली जिला फतेहपुर।
17. फरहान अहमद उर्फ वासू पुत्र फसानत हुसैन निवासी मोहल्ला कजियाना थाना कोतवाली जिला फतेहपुर।
18. इन्दाज पुत्र गफ्फार
19. अब्दुल हई पुत्र अब्दुल समद
    निवासीगण नरौली थाना सुल्तानपुर घोष जिला फतेहपुर।
20. कासिम पुत्र आमिल निवासी पूरे अधारी थाना हथगाम जिला फतेहपुर।
21. मोतीउद्दीन पुत्र मसीउद्दीन निवासी वार्ड नं०–9 कस्बा व थाना हथगांव जिला फतेहपुर।
22. कमल सिंह पुत्र जगदेव (दौरान विचारण मृत)
23. शिव सिंह पुत्र कमलेश सिंह
    निवासीगण मोहद्दीपुर मजरे पट्टी शाह थाना हथगांव जिला फतेहपुर।

.... अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या: 322ए सन 2008
धारा: 148, 323/149, 504, 506,
427 भारतीय दण्ड संहिता
विकल्प में धारा 364, 395, 397,
324/149 भारतीय दण्ड संहिता
थाना: हथगाम, जिला फतेहपुर।

1– सत्र परीक्षण संख्या 229 सन 2012 राज्य ––प्रति ––मजहर हैदर नकवी आदि एवं
2– सत्र परीक्षण संख्या 230 सन 2012 राज्य ––प्रति ––मो० अली आदि

एवम

2– सत्र परीक्षण संख्या 230 सन 2012
(CNR No. UPFT-01002987 2012)

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष

प्रति

1. मो० अली पुत्र मैकन निवासी ग्राम अकबरपुर चौराई थाना हथगांव जिला फतेहपुर।
2. नसीम पुत्र हमीद निवासी खरगूपुर बरगला थाना सुल्तानपुर घोष जिला फतेहपुर। (दौरान विचारण मृत)

.... अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या: 322ए सन 2008
धारा: 148, 323/149, 504, 506,
427 भारतीय दण्ड संहिता
विकल्प में धारा 364, 395, 397,
324/149 भारतीय दण्ड संहिता
थाना: हथगाम, जिला फतेहपुर।

अभियोजनपक्ष की ओर से– श्री शिव किशोर,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०)

वादी की ओर से– श्री बलिराज उमराव, एडवोकेट
श्री जगदीश सिंह चौहान, एडवोकेट,
श्री तारिक एम० फरीदी, एडवोकेट

बचावपक्ष की ओर से– श्री आर०डी० शुक्ला, एडवोकेट
श्री राजेन्द्र यादव, एडवोकेट

क्रम संख्या	**विवरण**	**दिनांक**
1	घटना का दिनांक	07.12.2008
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	29.12.2008
3	न्यायालय में आरोपपत्र प्राप्त होने का दिनांक	08.07.2009
4	मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने का दिनांक	08.07.2009
5	आपराधिक मामले को सत्र सुपुर्द किये जाने का दिनांक	11.09.2012
6	आरोप विरचित किये जाने का दिनांक	18.10.2012
7	पी०डब्लू.–1 वादिनी अलीमुन निशां का बयान	27.10.2016
8	पी०डब्लू०–2 साक्षी सगीर अहमद का बयान	07.04.2018
9	पी०डब्लू०–3 साक्षी प्रभारी निरीक्षक दिवाकर कनौजिया विवेचक का बयान	20.07.2019
10	पी०डब्लू०–4 साक्षी पुलिस उपनिरीक्षक उमेश कुमार चिक लेखक का बयान	22.07.2019
11	पी०डब्लू०–5 साक्षी शकील अहमद का बयान	26.07.2019

12	पी०डब्लू०–6 साक्षी सुनील कुमार साहू चीफ फार्मासिस्ट का बयान	20.09.2019
13	पी०डब्लू०–7 साक्षी सर्वेश शुक्ला एक्सरे टेक्नीशियन का बयान	20.09.2019
14	बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता	31.10.2019
15	प्रतिरक्षा में साक्ष्य	कोई नहीं

निर्णय

1. थाना हथगाम जनपद फतेहपुर की पुलिस द्वारा बाद विवेचना अभियुक्तगण मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां, साहिद रजा, शरीफ, अजीज, सगीर, खतीफ, रुकनुद्दीन, तेग अली, मो० अली, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, अमीन, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, कमल सिंह, शिव सिंह, मोबीन व नसीम के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोपपत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के न्यायालय में प्रेषित किया गया, जहाँ पर उक्त मामले में अपराध का संज्ञान लिया गया।

(क) यहॅा यह उल्लेखनीय है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण मो० अली व नसीम के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण तत्कालीन मुख्य मजिस्ट्रेट फतेहपुर के आदेश दिनांक 13.05.2011 के द्वारा उनकी पत्रावली पृथक की गयी, जो दाण्डिक वाद संख्या 2372ए सन 2009 बादहू 641ए सन 2012 के रुप में दर्ज हुई।

(ख) मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण तेगअली व अजीज की मृत्यु के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त होने के उपरान्त विद्वान अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–14, फतेहपुर के आदेश

दिनांक 23.07.2012 के द्वारा अभियुक्तगण तेगअली व अजीज के विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

(ग) तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–15, फतेहपुर ने अभियुक्त मोबीन पुत्र मसीउद्दीन के लगातार अनुपस्थित रहने एवं वाद की कार्यवाही विलम्बित रहने को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिनांक 06.9.2012 के द्वारा उसकी पत्रावली पृथक की गयी।

(घ) तत्पश्चात तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–15, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अर्थात दाण्डिक वाद संख्या 641 सन 2012 राज्य प्रति मजहर हैदर आदि व दाण्डिक वाद संख्या 641ए सन 2012 राज्य प्रति मो० अली आदि को सत्र परीक्षण संख्या 89 सन 2009 व मुकदमा अपराध संख्या 322 सन 2008 धारा 147, 148, 149, 302 व 307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट से सम्बन्धित होने के कारण आवश्यक प्रपत्रों की नकलें धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण को प्रदान करने के उपरान्त उक्त दोनों मामलों को धारा 209 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत दिनांक 11.09.2012 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र न्यायालय में क्रमश: सत्र परीक्षण संख्या 229 सन 2012 राज्य प्रति मजहर हैदर आदि व सत्र परीक्षण संख्या 230 सन 2012 राज्य प्रति मो०अली आदि के रुप में पंजीकृत हुए।

(ड) यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दाण्डिक वाद संख्या 641 सन 2012 राज्य प्रति मजहर हैदर आदि की पत्रावली में अभियुक्तगण मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां, साहिद रजा, शरीफ, सगीर, खतीफ, रुकनुद्दीन, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, अमीन, मोबीन पुत्र हातिम हुसैन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, कमल सिंह व शिव सिंह का वाद दिनांक 11.09.2012 को सत्र सुपुर्द किया गया तथा दाण्डिक वाद संख्या 641ए सन 2012 राज्य

प्रति मो० अली आदि की पत्रावली में अभियुक्तगण मो० अली व नसीम का वाद दिनांक 11.09.2012 को सत्र सुपुर्द किया गया।

2. प्रस्तुत मामले का अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा अलीमुन निशां द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–14, फतेहपुर के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय के तथ्यों का प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 07.12.2008 दिन रविवार को समय करीब 04.00 बजे दिन मेरे दुकान (मेडिकल स्टोर) में सगीर दवा लेने आया था। दुकान पर पड़ी कुर्सी पर बैठा था तभी (1) मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां (2) साहिद रजा पुत्रगण अतहर हुसैन के साथ (3) शरीफ, (4) अजीज पुत्रगण रसीद (5) सगीर पुत्र जहूर (6) खतीफ पुत्र शरीफ, (7) रुकनुउद्दीन पुत्र जमालउद्दीन (8) तेगअली (9) मो०अली पुत्रगण मैकन निवासी गण अकबरपुर चोरांई, थाना हथगांम (10) जावेद पुत्र इदरीस (11) मुनव्वर पुत्र रौनक अली (12) मंसूर पुत्र मकसूद (12) रियाज अतहर पुत्र मजहर हैदर नकवी (14) असगर अली पुत्र रौनक अली (15) गुड्डू सिंह पुत्र रज्जन सिंह (16) सलमान (17) सिकन्दर पुत्रगण मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां निवासी गण पट्टीशाह, थाना हथगांम जिला फतेहपुर (18) अमीन (19) मोबीन (20) मसरूर पुत्रगण हातिम हुसैन जैदी म०नं० 91, महाजरी, थाना कोतवाली फतेहपुर (21) फरहान अब्बास उर्फ बासू पुत्र फसानत हुसैन निवासी मोहल्ला कजियाना थाना कोतवाली फतेहपुर (22) इन्दाज पुत्र गफ्फार (23) अब्दुल हई पुत्र अब्दुल समद निवासीगण नरौली थाना सुल्तानपुर घोष (24) कासिम पुत्र आमिल निवासी पूरेअधारी, थाना हथगांम फतेहपुर, (25) मोतीउद्दीन पुत्र मसीउद्दीन निवासी वार्ड नं0 9, नगर पंचायत हथगांम, थाना हथगांम जिला फतेहपुर (26) कमल सिंह पुत्र जगदेव (27) शिव सिंह पुत्र कमल सिंह निवासीगण मोहद्दीपुर मजरे पट्टीशाह थाना हथगांम फतेहपुर (28) मोबीन पुत्र मसीउद्दीन निवासी अन्दरा, थाना मुआरी पैन्सा, जिला कौशाम्बी (29) नसीम वल्द हमीद निवासी खरगूपुर बरगला, थाना सुल्तानपुर घोष (30) शमशाद वल्द मुख्तार निवासी मोहम्मदपुर कला थाना थरियांव जिला फतेहपुर अपने–अपने असलहे लिये

हुए जुलूस के साथ मेरे दरवाजे के सामने से जा रहे थे कि उसी वक्त मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां ने कहा कि सगीर चिकवे मादरचोर मेरे सामने कुर्सी पर बैठा है और ललकारा कि रियाज अतहर ने पीछे से लात मार दिया जिससे कुर्सी सहित सगीर जमीन पर गिर गया और सभी लोग लात घूंसों से मारने लगे इस पर हमारे घर व चिकवा सगीर के परिवार के लोग मारपीट सुनकर इकट्ठा हो गये और कह रहे थे कि आज भी यह जमींदारी प्रथा चला रहे हैं और पूंछा कि सगीर ने क्या गलती की है यह बात हो रही थी कि जुलूस फिंर वापस आया। हम लोगो को इकट्ठा देख मज्जू मियां ने ललकारा कि मार डालो सालों को सरकार हमारी है कुछ नहीं होगा इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। इस पर मज्जू मियां के उपरोक्त साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी जनता में भगदड़ मच गयी। मैं अपना मेडिकल स्टोर बन्द करना चाही कि इतने में अमीन, मोईन, मसरूर, मोती, फरहान अब्बास उर्फ बासू उपरोक्त मुल्जिमान मेरी दुकान में घुस आये और कट्टा अड़ाकर दुकान में रखे गोल्लक से लगभग 50,000/– रुपये असलहे लहराते हुए लूट की नीयत से लूट लिया व दुकान में तोड़फोड़ किया। सभी मुल्जिमान दुकान को घेरे रहे। मैं डरवश घर में घुस गयी और थाने अपने मोबाइल से फोन किया। पुलिस घर आकर हमारे घर के अन्दर से सईद व चोटहिल सगीर को ले गयी। इन लोगों की फायरिंग से मज्जू मियां, रियाज अतहर, शमशाद व सगीर के चोटें आयीं हैं। इस घटना को शकील अहमद व मकदूम ने देखा है। मुल्जिमान सिकन्दर, नसीम, मोबीन उपरोक्त पुलिस के जाने के बाद मुझे जान से मारने की नियत से असलहे अड़ाकर अपहरण कर ले गये और मुझे गांव के बाहर बने घर में बन्द कर दिया। दिनांक 11.12.2008 को मौका पाकर घर से कूद कर बाहर निकल आयी और लुकते–छिपते थाना हथगांम में सूचना दिया परन्तु मुल्जिमान के राजनैतिक दबाव के कारण स्थानीय पुलिस प्रार्थिनी को डांट कर भगा दिया तब प्रार्थिनी किसी तरह से उसी दिन फतेहपुर आकर जरिये रजिस्ट्री एवं तार पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को सूचना दी, परन्तु स्थानीय पुलिस अब तक न तो प्रार्थिनी की रपट लिखी और न ही मुल्जिमानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की। प्रार्थिनी मुल्जिमानों के आतंक की वजह से गांव से पलायन कर गयी है तब प्रार्थिनी मजबूर होकर श्रीमान

जी को यह प्रार्थना पत्र दे रही है।

3. वादिनी अलीमुननिशां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श क–1 व शपथपत्र प्रदर्श क–2 के आधार पर न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्यरा–14, फतेहपुर के आदेश दिनांक 22.12.2008 के अनुक्रम में थाना हथगाम में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां, साहिद रजा, शरीफ, अजीज, सगीर, खतीफ, रुकनुद्दीन, तेग अली, मो० अली, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, अमीन, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, कमल सिंह, शिव सिंह, मोबीन, रियाज अतहर, नसीम व शमशाद के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 322ए सन 2008 धारा 364, 395, 397 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियेाग पंजीकृत किया गया, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–9 है तथा इसकी प्रविष्टि रोजनामचा आम की नकल रपट नं०–16 समय 11:10 बजे दिनांक 29.12.2008 को प्रदर्श क–10 में किया गया। इस अभियोग की विवेचना तत कालीन थानाध्यक्ष हथगॉव दिवाकर कनौजिया पी०डब्लू०–3 को सुपुर्द की गयी।

4. तत्कालीन थानाध्यक्ष हथगॉव दिवाकर कनौजिया पी०डब्लू०–3 ने वादिनी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 तैयार किया एवं दौरान विवेचना गवाहों के बयान लिये तथा विवेचना सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां, साहिद रजा, शरीफ, अजीज, सगीर, खतीफ, रुकनुद्दीन, तेग अली, मो० अली, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, अमीन, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, कमल सिंह, शिव सिंह, मोबीन व नसीम के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 व 427 भारतीय दण्ड संहिता में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र प्रदर्श क–8 न्यायालय में प्रेषित किया।

5. प्रकरण सत्र न्यायालय में सुपुर्द होने के उपरान्त उपरोक्त दोनों सत्र

परीक्षण वाद संख्या 229 सन 2012 व सत्र परीक्षण संख्या 230 सन 2012 एक ही अपराध की घटना से सम्बन्धित होने के कारण उक्त दोनों सत्र परीक्षण वादों में आदेश दिनांक 18.10.2012 के द्वारा सभी अभियुक्तगण मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां, साहिद रजा, शरीफ, सगीर, खतीफ, रुकनुद्दीन, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, अमीन, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, कमल सिंह, शिव सिंह, मो० अली व नसीम के सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु) अधिनियम, फतेहपुर द्वारा दिनांक 18.10.2012 को उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148, 323/149, 504, 506, 427 विकल्प में धारा 364, 395, 397, 324/149 के अन्तर्गत संयुक्त रुप से समेकित करते हुए आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवम विचारण की याचना की।

(क) उल्लेखनीय है कि दौरान विचारण अभियुक्तगण मजहर हैदर नकवी, शरीफ, सगीर, अमीन, कमल सिंह व नसीम की मृत्यु हो गयी है, जिससे अभियुक्त शरीफ व नसीम के विरुद्ध क्रमश: आदेश दिनांक 23.08.2013 व 06.04.2026 एवं शेष अभियुक्तगण मजहर हैदर नकवी, सगीर, अमीन व कमल सिंह के विरुद्ध आदेश दिनांक 04.06.2026 के द्वारा वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।

(ख) अतएव अब उक्त दोनों सत्र परीक्षण वादों में मात्र अभियुक्तगण **साहिद रजा, खतीफ, रुकनुद्दीन, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली** का ही विचारण किया जाना है।

(ग) चूँकि तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु) अधिनियम, फतेहपुर द्वारा दिनांक 18.10.2012 को उक्त दोनों सत्र परीक्षण वाद एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण संयुक्त/समेकित रुप

से अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये गयें हैं, जिससे उक्त दोनों सत्र परीक्षण वादों में सत्र परीक्षणी संख्या 229 सन 2012 को लीडिंग केस बनाते हुए साक्ष्य अंकित की गयी है। ऐसी स्थिति में दोनों सत्र परीक्षण वादों का एक साथ निस्तारण/निर्णय किया जा रहा है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू०-1 वादिनी मुकदमा अलीमुन निशां, साक्षी सगीर अहमद को बतौर पी०डब्लू०-2, प्रकरण के विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना हथगांव साक्षी दिवाकर कनौजिया को बतौर पी०डब्लू०-3, चिक लेखक हे०मो० उमेश कुमार को बतौर पी०डब्लू०-4, साक्षी शकील अहमद को बतौर पी०डब्लू०-5, साक्षी सुनील कुमार साहू चीफ फार्मासिस्ट को बतौर पी०डब्लू०-6 एवं साक्षी सर्वेश शुक्ला एक्सरे टेक्नीशियन को बतौर पी०डब्लू०-7 परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजन द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गयें है, उनको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है, जिनको प्रदर्श से क्रमबद्ध किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं:-

क्र० सं०	**अभियोजन प्रलेखों का विवरण**	**प्रदर्श**
1.	प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता	क-1
2.	शपथपत्र संलग्न प्रार्थनापत्र धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता	क-2
3.	सत्यापित प्रति वाह्य रोगी प्रपत्र/पर्चा सगीर अहमद	क-3
4.	सत्यापित प्रति चिकित्सीय आख्या सगीर अहमद	क-4
5.	सत्यापित प्रति एक्सरे आख्या सगीर अहमद	क-5
6.	सत्यापित प्रति बयान धारा 200दण्ड प्रक्रिया संहिता सगीर अहमद	क-6
7.	नक्शा नजरी घटनास्थल	क-7
8.	आरोपपत्र	क-8

9.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	क–9
10.	नकल रपट संख्या 16 समय 1:10 दिनांक 29.12.2008	क–10
11.	एक्सरे रिपोर्ट चोटहिल सगीर अहमद	क–11

8. अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होने दिनांक 07.12.2008 को समय लगभग 4:00 बजे दिन स्थान बमुकाम वादिनी मुकदमा अलीमुननिशां की दुकान के सामने स्थित बहद ग्राम पट्टीशाह थाना हथगाम जिला फतेहपुर के अन्तर्गत सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुध तमन्चा, डी०बी० बी०एल० गन, राइफल आदि असलहों से लैस होकर विधि विरुद्ध सदस्य के रुप में एकत्रित होकर बलवा किया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए वादिनी की दुकान के सामने कुर्सी में बैठे सगीर को लात घूँसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित कर मेडिकल स्टोर में तोडफोड कर क्षति कारित किया तथा विकल्प में यह भी आरोप है कि उक्त तिथि व समय पर ही वादिनी मुकदमा द्वारा मेडिकल स्टोर में तोड फोड का विरोध करने अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा अलीमुननिशां के मेडिकल स्टोर में रखे गुल्लक से आग्नेयास्त्रों के बल पर रुपया पचास हजार की लूट कर डकैती का कृत्य करते हुए वादिनी मुकदमा की हत्या करने के आशय से उसका अपहरण कर उसकी हत्या का प्रयत्न किया व घातक आयुधों से सुसज्जित होकर सगीर अहमद को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया। अब इस न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से अभियोजन केस साबित होता है अथवा नहीं।

9. अभियोजन की ओर से बतौर पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा अलीमुन निशां को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै इस मुकदमें के सभी मुल्जिमानों को जानती पहचानती हूॅं, जिनके नाम मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां, साहिद रजा, शरीफ, अजीज, सगीर, मतीन, रुकनुद्दीन, तेग अली, मो०अली, जावेद, गुड्डू सिंह, मुनव्वर, असगर, रियाज अतहर, सलमान, सिकन्दर, मंसूर, हमीद, मुबीन, मसरुर, फरहान अब्बास उर्फ बासू,

इन्दाज, अब्दुल हई, कमल सिंह, शिव सिंह, मोतीउद्दीन, कासिम, मोबीन पुत्र मसीउद्दीन, नसीम और शमशाद हैं। उपरोक्त सभी मुल्जिमान में कुछ मुल्जिमान अकबर चुराई के, कुछ पट्टी शाह व मोहल्ला मसवानी व कजियाना ग्राम नरौली, अमारी का पुरवा व ग्राम मुआरी ग्राम खरगूपुर, नरगला कस्बा हथगाम व ग्राम मोहम्मदपुर कलां तथा ग्राम अंदरा थाना पैसा जिला कौशाम्बी व मोहद्दीपुर मजरे पट्टीशाह के रहने वालें हैं। यह घटना दिनांक 07.11.2008 दिन रविवार समय करीब 4:00 बजे दिन की है। उस समय मेरी दुकान मेडिकल स्टोर में सगीर पुत्र पीरबक्श अमीरगंज मजरे पट्टीशाह दवा लेने आया और दुकान के सामने पडी कुर्सी पर बैठ गया था। तभी उपरोक्त मुल्जिमान अपने अपने असलहे के साथ जुलूस के साथ मेरे दरवाजे के सामने से जा रहे थे। उसी समय मज्जू मियां ने सगीर को देखकर कहा कि सगीर चिकवे मॉ की गाली देते हुए कहा कि मेरे सामने कुर्सी पर बैठा है और ललकारा। मुल्जिम रियाज अतहर ने पीछे से लात मार दिया और सगीर कुर्सी सहित जमीन पर गिर गये। सभी लोग लात घूँसों से सगीर को मरने लगे। मारपीट सुनकर हमारे घर व सगीर के परिवार के सभी इकट्ठा हो गये और कहा कि आज भी यह जमींदारी प्रथा चला रहें हैं और पूछा कि सगीर ने क्या गलती की थी। यह सब बातें हो रही थी कि जुलूस वापस आ गया। हम लोगों को इकट्ठा देखकर मज्जू मियां ने ललकारा मार डालों सालों को सरकार हमारी है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर उपरोक्त मज्जू मियां के साथियों ने फायरिंग शुरु कर दी। भगदड जनता में मच गयी। मै अपना मेडिकल स्टोर बन्द करना चाही कि अमीन, मोईन, मोती, मसरुर, फरहान अरबाज उर्फ बासू आदि मेरी दुकान में घुस आये। उन लोगों ने कट्टा अडाकर दुकान में रखे गुल्लक से लगभग पचास हजार रुपया असलहा लहराते हुए लूट लिया तथा दुकान में तोडफोड भी किया। दुकान को सभी मुल्जिमान घेरे रहे मै घर के अन्दर चली गयी। थाने में अपने मोबाईल से फोन करके घटना की जानकारी दी। तब पुलिस मेरे घर आयी और घर के अन्दर से चोटहिल सगी। र को व रईस को ले गयी। मुल्जिमानों की फायरिंग से मज्जू मियां, रियाज अतहर व शमशाद व सगीर चिकवा को चोटें आयीं। इस घटना को शफीक, मकदूम के अलावा कुछ लोगों ने देखा।

पुलिस के जाने के बाद सिकन्दर, मोबीन, नसीम जान से मारने के लिए असलहा अडाकर मेरा अपहरण कर ले गये और मुझे गांव के बाहर घर में बन्द कर दिया। दिनांक 07.11.2008 को मेरा अपहरण किया और 11.12.2008 को मौका पाकर मै घर से बाहर निकल आयी और लुकते छिपते थाना हथगाम में सूचना दिया, लेकिन मुल्जिमानों के राजनैतिक दबाव के कारण पुलिस ने डांटकर भगा दिया। तब मैने फतेहपुर आकर जरिए रजिस्ट्री व तार पुलिस अधीक्षक फतेपुर को सूचना दिया फिर भी कार्यवाही नहीं हुई तब मैने न्यायालय में टाइप कराकर प्रार्थनापत्र दिया, जिसके आधार पर न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमा कायम हुआ। इस घटना के सम्बन्ध में दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था। मैने न्यायालय में 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र व शपथपत्र दिया था। इस साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थनापत्र को प्रदर्श क–1 एवं शपथपत्र को प्रदर्श क–2 के रुप में अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मैने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था व रजिस्ट्री रसीद व तार भी किया, जो पत्रावली में शामिल है। प्रार्थनापत्र पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है।

10. अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–2 के रुप में सगीर अहमद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै इस मुकदमें में सभी मुल्जिमानों को जानता पहचानता हूँ, जिनके नाम नाम मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां, साहिद रजा, शरीफ, अजीज, रसीद, रुकनुद्दीन, सगीर, मतीन, तेग अली, मो०अली, मुनव्वर अली, मंसूर अली, जावेद, रियाज, असगर अली, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, रियाज अतहर, अमीन, मुबीन, मसरुर, फरहान अब्बास उर्फ बासू, इन्दाज, अब्दुल हई, मोतीउद्दीन, कमल सिंह, शिव सिंह, मोबीन पुत्र मसीउद्दीन, नसीम, कासिम और शमशाद हैं। उक्त सभी मुल्जिमानों में से कुछ मुल्जिमान ग्राम अकबरपुर चौराई, कुछ पट्टीशाह, कुछ मोहल्ला कजियाना व कुछ महाजरी शहर फतेहपुर कुछ ग्राम नरौली मोहम्मदीपुर कुछ अमारी का पुरवा कुछ ग्राम खरगूपुर बरगवां थाना सुल्तानपुर घोष व ग्राम मोहम्मदकलां तथा एक ग्राम अन्दरा थाना पैसा जिला कौशाम्बी व एक कस्बा हथगाम थाना हथगाम के रहने वालें

हैं, जिनको मै घटना के पहले से जानता पहचानता हूॅ। मुल्जिमान हाजिर अदालत नसीम, मोबीन, गुड्डू आज अदालत में तथा सिकन्दर भी मौजूद है। शेष मुल्जिमान न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। यह घटना दिनांक 07.12.2008 की है। दिन रविवार समय 4:00 बजे दिन की है। उस समय अलीमुननिशां के मेडिकल स्टोर में दवा लेने गया था और दुकान के सामने पडी कुर्सी में बैठ गया था तभी उपरोक्त मुल्जिमान अपने अपने असलहों के साथ जुलूस लेकर मेडिकल स्टोर के सामने से जा रहे थे। मज्जू मियां ने मुझे देखकर कहा कि अबे साले सगीर चिकवा मेरे सामने मादरचोद कुर्सी पर बैठा है और ललकारा कि रियाज अतहर ने पीछे से मुझे लात मार दिया, जिससे मै कुर्सी सहित जमीन पर गिर गया। उक्त सभी मुल्जिमानों ने मुझे लात घूसों से मारा और जुलूस के साथ आगे बढ गये इस पर अलीमुननिशां के परिवार के लोग इकट्ठा होकर बात करने लगे कि आज भी यहॅा जमींदारी प्रथा चला रहें हैं और आपस में पूॅछने लगे कि सगीर ने क्या गलती की। यह बात हो रही थी कि जुलूस फिर वापस आ गया हम लोगों को इकट्ठा देखकर मज्जू मियां ने ललकारा मार डालो सालों को सरकार हमारी है, कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस पर उपरोक्त सभी मुल्जिमानों ने फायरिंग शुरु कर दी, जिससे जनता में भगदड मच गयी। इतने में अजीमुननिशां ने अपना मेडिकल स्टोर बन्द करना चाहा तो इतने में अमीन, मोईन, मोती, मसरुर, फरहान अरबाज उर्फ बासू आदि मेडिकल स्टोर में घुस गये और कट्टा अडाकर दुकान में रखे गुल्लक से पचास हजार रुपया लूट की नीयत से लूट और दुकान में तोडफोड किया।सभी मुल्जिमान दुकान को घेरे रहे अजीमुननिशां डरवश घर में घुस गयी। घर से थाने में अपने मोबाईल से फोन किया, जिस पर थाना हथगाम की पुलिस आ गयी और घर के अन्दर से सईद, रईस और मुझे चोटहिल हालत में ले गयी। घटना में हुई मुल्जिमानों की फायरिंग से मुझे, रियाज अतहर, शमशाद व मज्जू मियां को चोटें आयीं थी। मुल्जिमान की फायरिंग से जब मुझे चोट लगी तो मेरी जान बचाने के लिए मौजूद भीड ने लोग व जनता के लोगों ने फायर किया, उनकी फायरिंग से मज्जू मियां, रियाज अतहर, शमशाद को चोटें आयीं। मैने थाने पर इस घटना के सम्बन्ध में जुबानी सुचानी दी, परन्तु बी०एस०

पी० की सरकार होने के कारण मज्जू मियां के दबाव में मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। थाना हथगाम की पुलिस ने मेरा डाक्टरी मुआयना व एक्सरे जिला चिकित्सालय फतेहपुर में कराया। राजनैतिक दबाव के कारण मुझे पुलिस ने रियाज अतहर की हत्या व शमशाद , मज्जू मियां की गोलीकाण्ड में फजी्र कहानी बनाकर पुलिस फर्जी मुकदमा लगाकर मुझे जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद मैने मुल्जिमान उपरोक्त द्वारा अपने ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर प्राणघातक चोटें पहुॅचाने की शिकायत टेलीग्राम द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिया लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। इस घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान पुलिस ने लिया था और मेरा बयान अदालत में भी हुआ था। मै आज जिला चिकित्सालय फतेपुर का वाह्य रोगी प्रपत्र दिनांकित 08.12.2008 की सत्यप्रतिलिपि व जिला अस्पताल फतेहपुर में दिनांक 08.12.2008 को जिला अस्पताल में डाक्टर साहब द्वारा किया गया मेडिकल परीक्षण, जिसे होमगार्ड 167 अमृतलाल ने करवाया था की सत्यप्रतिलिपि व जिला अस्पताल द्वारा जारी एक्सरे फार्म दिनांकित 08.12.2008 की सत यप्रतिलिपि इस समय आज मै दाखिल कर रहा हूॅ तथा न्यायालय में मेरा बयान धारा 200 जा०फौ० की सत्यप्रतिलिपि आज जरिए फेहरिस्त दाखिल कर रहा हूॅ।

साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 83ब/2 जिला चिकित्सालय फतेहपुर का वाह्य रोगी प्रपत्र की सत्यप्रतिलिपि, जिस पर उसकी चोटों के बारे में अंकन है और जिसे पुलिस ने कराया था, को प्रदर्श क–3 के रुप में साबित किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मेरा डाक्टरी मुआयना जिला अस्पताल फतेहपुर में पुलिस द्वारा दिनांक 08.12.2008 को 1:45 ए एम पर कराया गया था1 डाक्टर साहब ने मुआयना के समय मेरे शरीर पर आयी चोटों का इन्द्राज मेरे सामने अपने लेख व हस्ताक्षर में मुआयना के समय अंकित किया था। इस डाक्टरी मुआयना की सत्यप्रतिलिपि को साक्षी ने प्रदर्श क–4 के रुप में साबित किया है, जिसकी मूल प्रति सत्र परीक्षण संख्या 89 सन 2009 में होना कहा है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि सदर अस्पताल (जिला अस्पताल) के डाक्टर ने दिनांक 08.12.2008

को मेरा डाक्टरी मुआयना करने के बाद मेरे शरीर के दोनो हाथ दोनों जांघ, एब्डोमेन थोरेक्स पर आयी चोटों की निगरानी में रखते हुए एक्सरे फार्म भरकर पुलिस को दिया था, जिसकी सत्यप्रतिलिकप को प्रदर्श क–5 के रुप में साबित किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि इस घटना के सम्बन्ध में ए०सी०जे०एम० कोर्ट नं०–11 में मजहर हैदर नकवी आदि के खिलाफ धारा 307, 147, 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया था, जिसमें न्यायालय में मेरा बयान धारा 200 सी०आर०पी०सी० हुआ था। यह मुकदमा मैने न्ययायालय से जमानत होने के बाद जेल से छूटने पर दायर किया था1 इस बयान की सत्यप्रतिलिपि मैने जरिए फेहरिस्त दाखिल किया है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–6 के रुप में साबित किया है। मजहर हैदर नकवी हमारे क्षेत्र के बी०एस०पी० के बडे नेता थे, उनके प्रभाव के कारण पुलिस ने उनके व उनके साथ के मुल्जिमानों को बचाने के लिए और जुर्म घटना की नीयत से मेरा कोई बयान इस घटना के सम्बन्ध में नहीं लिया था।

11. पी०डब्लू०–3 साक्षी दिवाकर कनौजिया सेवानिवृत्त प्रभारी निरीक्षक इस मामले के विवेचक है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.12.2008 को मै थाना हथगांव में बतौर थानाध्यक्ष नियुक्त था1 इस दिन इस केस की विवेचना प्रापत कर मैने नकल चिक, नकल प्रार्थनापत्र कम्प्यूटर धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नकल रपट आदेश न्यायालय अंकित करा व बयान चिक लेखक, हे०मो० उमेश कुमार, बयान वादिनी अलीमुननिशां अंकित किया। इसी दिन वादिनी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैया किया, जिसे अपने लेख व हस्ताक्षर में प्रदर्श क–7 के रुप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि इसी दिन मैने समई साक्षी ननबुध, सुंदरलाल के बयान तथा स्वतंत्र गवाह वहाबुद्दीन के बयान अंकित किया। अभियुक्तगण व गवाहान की तलाश किया1 गवाहान मज्जू मियां के डर सके कहीं छिपे थे, जो नहीं मिले। दिनांक 19.6.2009 को गवाहान मकदूम, शकील का बयान व वादिनी का मजीद बयान अंकित किया तथा अभियुक्तगण मजहर आदि के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में न्यायालय में प्रेषित किया, जिसे साक्षी

ने प्रदर्श क–8 के रुप में साबित किया। साक्षी ने यह भी कथन किया कि मामले की विवेचना के दौरान जो गवाह बिना डर बयान देने हेतु मिले थे, मैने केवल उन्हीं का बयान लिया था शेष गवाहान का नहीं ले पाया था।

12. साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 तत्कालीन हेड मोहर्रिर उमेश कुमार मुकदमें के चिक लेखक है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक 29.12.2008 को थाना हथगाम में बतौर हेड मोहर्रिर तैनात था1 इस दिन धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का आदेश प्राप्त हुआ। न्यायालय के आदेश पर थानाध्यक्ष के आदेश पर मैने चिक संख्या 174 सन 2008 पर मुकदमा अपराध संख या 322ए सन 2008 धारा 364,395,397 भारतीय दण्ड संहिता बनाम मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां आदि के विरुद्ध किता किया था तथा इसी समय जी०डी० संख्या 16 दिनांक 29.11.2008 समय 11:10 पर मुकदमा खुलाश मैने हूबहू असल कार्बनल प्रति लगाकर अंकित किया था। साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व नकल रपट की कार्बन प्रति को क्रमश: प्रदर्श क9 व प्रदर्श क–10 के रुप में साबित किया है।

13. अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–5 के रुप में शकील अहमद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 07.12.2008 को शाम 4:00 बजे की है। यह घटना अजीमुननिशां के मेडिकल स्टोर स्थित ग्राम पट्टीशाह में घटी थी। उस समय मै अलीमुननिशां के मेडिकल स्टोर पर था और वहीं कुर्सी पर सगीर बैठे थे। उस समय जुलूस रथ आया, जिसे मज्जू मियां लेकर चल रहे थे। इस जुलूस में मज्जू मियां के साथ शाहिद रजा, सलमान, सिकन्दर, रियाज अतहर, मुनव्वर, असगर, मंसूर, जावेद, गुड्डू सिंह, कमल सिंह, शिव सिंह, तेगअली, मोहम्मद अली, रुकनुद्दीन, सगीर, अजीज, खतीब, शरीफ, इम्दाज, अब्दुल हई, नसीम घोषी, मोहिउद्दीन, शमशाद, कासिम, मुबीन, अमीन, मसरुर, वासू, मुबीन थे। यह जुलूस जब अलीमुननिशां के मेडिकल स्टोर के पास पहुॅचा तो वहॅा पर सभी को बाहर पडी कुर्सी पर बैठा देखकर मज्जू मियां ने ललकारा कि साले चिकवा मादरचोद मेरे सामने कुर्सी पर बैठा है, उठा नहीं। मज्जू

मियां के ललकारने पर उनके लडके रियाज अतहर ने सगीर की कुर्सी पर लात मार दी। सगीर जमीन पर गिर गये। फिर जुलूस में शामिल लोगों ने सगीर को लात घूँसों से मारा पीटा और जुलूस आगे बढ गया। वहां पर अलीमुन निशां के घर के लोग मौजूद थे वह आपस में बात कर रहे थे कि अभी भी जमींदारी गयी नहीं और मज्जू मियां गुण्डागर्दी करतें हैं। बातचीत हो रही थी कि जुलूस वापस लौट कर आया। मज्जू मियां ने ललकारा मार डालो सालों को सरकार अपनी मायावती की है, कुछ नहीं होगा। मेडिकल स्टोर पर मौजूद लोगों के देखने के बाद जुलूस में शामिल लोगों ने फायरिंग की। इस फायरिंग से लोग भागने लगे। अलीमुननिशां ने अपना मेडिकल स्टोर का शटर गिराना चाहा तो मेडिकल स्टोर में अमीन, मोईन, मसरुर, फरहान अरबाज व मोतीउद्दीन शटर के अन्दर मेडिकल स्टोर में घुस आये और वहां तोडफोड किया। बासू ने अलीमुननिशां के तमंचा अडा दिया और बाकी लोग तोड फोड कर मेडिकल स्टोर के गुल्लक से पचास हजार रुपया लूट लिया। यह रकम अलीमुननिशां ने मुझे बतायी थी। लूटपाट के दौरान डरवश जान बचाने की नीयत से मै व अलीमुननिशां उसके घर में घुस गये घर में घुसते ही अलीमुननिशां ने दरवाजा बन्द कर लिया और पुलिस को फोन किया। उसके बाद पुलिस मौके पर आयी। सगीर व रई को पुलिस पकड कर ले गयी। पुलिस के जाने के बाद अलीमुननिशां का सिकन्दर, मुबीन व नसीम अपहरण करके ले गये। मैने घटना के सम्बन्ध में विवेचक को बयान दिया था। साक्षी को उसका बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता सुनाकर पूँछने पर साक्षी ने कहा कि मेरा बयान दरोगाजी ने सही लिखा है परन्तु प्रश्नः ''घटना के बाद अलीमुननिशां को पकड कर कहीं बन्द कर दिया था व मेडिकल स्टोर के गुल्लक से पैसों की लूटपाट की गई थी''? का उत्तर जो मेने दिया, वह नहीं लिखा है तथा विवेचक द्वारा यह गलत उत्तर लिखा गया है कि ''घटना के समय व बाद में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। गाली गुप्ता मारपीट तोड फोड व चारो तरफ सेमकान को घेरकर फायरिंग करते रहे।

14. साक्षी पी०डब्लू०–6 सुशील कुमार साहू तत्कालीन चीफ फार्मासिस्ट जिला चिकित्सालय फतेहपुर है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है

कि मै आज न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधीक्षक द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में जिला चिकित्सालय में मेडिकल लीगल रजिस्टर को मूल रुप से लेकर आया हूॅ। यह मेडिकल लीगल रजिस्टर 30.10.2008 से 13.3.2009 तक की अवधि का है। रजिस्टर में कुल 313 पेज है, जिसे मुख्य चिकित्साधिकारी जिला अस्पताल फतेहपुर के द्वारा प्रमाणित किया गया है1 इस रजिस्टर के पेज संख्या 95 पर दिनांक 08.12.2008 पर चोटहिल सगीर अहमद पुत्र पीरबक्स को चिकित्सीय मुआयना के उपरान्त आयी चोटों का उल्लेख किया गया है। अभिलेख के अनुसार उक्त मुआयना उस समय नियुक्त रहे डाक्टर जे०एल०एम० कुशवाहा के द्वारा किया गया है। चिकित्सीय मुआयना में कुल पांच चोटों का उल्लेख किया गया है। डाक्टर जे०एल०एम० कुशवाहा के द्वारा अभिलेखों के अनुसार 31.12.008 व 13.12.2008 को भी क्रमांक संख्या 114 व 115 पर अंकित चोटों का भी मुआयना किया गया है, जिस पर उनके सूक्ष्म हस्ताक्षर बनें हैं व नाम लिखा है, पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–4 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह चोटहिल सगीर अहमद के उपहति आख्या की सत्यापित प्रति है। साक्षी ने देखकर बताया कि इस सत्यापित प्रति व रजिस्टर में अंकित उपहति आख्या में कोई अन्तर नहीं है। साक्षी के द्वारा प्रदर्श क–4 को प्रमाणित किया गया तथा उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये तथा पुन: आज दिनांक 08.12.2008 को क्रमांक संख्या 95 पर दर्ज उपहति आख्या की छायाप्रति को प्रमाणित करके पत्रावली में दाखिल किया।

15. साक्षी पी०डब्लू०–7 सर्वेश शुक्ला एक्सरे टेक्निशियन जिला चिकित्सालय फतेहपुर को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज मै न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधीक्षक के आदेश के अनुक्रम में जिला चिकित्सालय का एक्सरे रिपोर्ट का मूल रजिस्टर अपने साथ लेकर आया हूॅ। इस रजिस्टर के पेज संख्या 89 पर दिनांक 17.12.2008 पर चोटहिल सगीर अहमद की चोटों का एक्सरे करने के पश्चात उसकी रिपोर्ट का अंकन है। यह रिपोर्ट डाक्टर के०सी० गुप्ता द्वारा तैयार की गयी है, जो उनके साथ तैनात रहें हैं तथा जिनको लिखते पढते देखा है तथा उनके हस्तलेख

व हस्ताक्षर से परिचित हूॅ। उक्त एक्सरे रिपोर्ट रजिस्टर पर पेज संख्या 89 पर मजरुब सगीर के एक्सरे का क्रमांक 5380 अंकित है। उक्त एक्सरे रिपोर्ट रजिस्टर पर अंकित मजरुब सगीर की एक्सरे रिपोर्ट की छायाप्रति को मूल से मिलान कर आज मै दाखिल कर रहा हूॅ, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–11 के रुप में साबित किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि एक्सरे रिपोर्ट मजरुब सगीर पत्रावली पर मौजूद एक्सरे फार्म प्रदर्श क–5 पर उल्लिखित चोटों के सापेक्ष ही एक्सरे रिपोर्ट है। एक्सरे रिपोर्ट रसीद संख्या 89 के पीछे इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि 06 एक्सरे प्लेट तथा रिपोर्ट प्राप्त किया तथा जेल बन्दीरक्षक पारसनाथ मिश्रा का हस्ताक्षर दिनांक 18.12.2008 में बना है।

16. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में घटना को गलत होना, विवेचक द्वारा वादी के प्रभाव में फर्जी कार्यवाही/विवेचना के आधार पर झूॅठा बयान देना व गलत आरोपपत्र प्रेषित करना, वादिनी द्वारा पेशबन्दी में झूॅठा बयान देना, गवाह सगीर अहमद को क्रास केस का मुल्जिम होने के कारण खुद को बचाने के लिए पेशबन्दी में झूॅठा बयान देना, गवाह सगीर के पिता व भाई क्रास केस के मुल्जिम होने के कारण उन्हें बचाने के लिए पेशबन्दी में झूॅठा बयान देना कहा तथा वादिनी के पति, जेठ व अन्य लोग क्रास केस मुकदमा अपराध संख्या 322 सन 2008 धारा 147, 148, 149, 302, 307 भारतीय दण्ड संहिता व 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट के मुल्जिम होने के कारण उन्हें बचाने के लिए व पेशबन्दी में दबाव बनाने के लिए झूॅठा मुकदमा कायम कराये जाने का कथन किया एवं सफाई साक्ष्य देने का कथन किया। अभियुक्तगण ने अतिरिक्त कथन में यह भी कहा है कि, ''वह निर्दोष हैं1 वादिनी के परिजनों व साथियों ने हम लोगों पर फायर आर्म से जानलेवा हमला व फायर किया था, जिसमें रियाज अतहर की मौके पर, शमशाद की अस्पताल में तथा मजहर हैदर की बाद में मृत्यु हो गयी थी, उस मुकदमें में मोबीन, इफ्तखार, वादी थे तथा इस मुकदमें के मुल्जिम असगर व अन्य लोग गवाह हैं। मुकदमा अपराध संख्या 322 सन

2008 थाना हथगांव के मुल्जिमानों द्वारा की गयी अंधाधुंध फायरिंग में उन्हीं का साथी सगीर भी चोटहिल हुआ था, जिसकी जानकारी उस समय नहीं हो सकी थी। दबाव बनाने के लिए व स्वयं को बचाने के लिए मुकदमा अपराध संख्या 322 सन 2008 के मुल्जिमों द्वारा विधिक सलाह से हम लोगों के खिलाफ एक माह बाद झूँठा मुकदमा कायम कराया है।''

17. अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है, किन्तु उनकी ओर से कोई भी साक्ष्य सफाई में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

18. मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वादिनी मुकदमा के विद्वान निजी अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

19. अभियोजनपक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह कथन किया गया कि अभियोजनपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने अभियोजन कथानक को पूरी तरह साबित किया है। अभियुक्तगण ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुद्धों तमंचा आदि से लैस होकर असलहों का प्रयोग करते हुए विधि विरुद्ध सम्मेलन के सदस्य के रुप में एकत्रित होकर बलवा कर सगीर को कुर्सी से गिराकर भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए लात घूँसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं आग्नेयास्त्रों से लैस होकर वादिनी मुकदमा अलीमुननिशां के मेडिकल स्टोर में तोड फोड कर मेडिकल स टोर में रखे रुपया 50,000/– लूटकर डकैती की एवं उसकी हत्या करने के आशय से घोर उपहति कारित कर व्यपहरण/अपहरण करने के उपरान्त उसकी हत्या का प्रयत्न किया। यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा जो जुलूस निकाला जा रहा था, उसकी कोई विधिक अनुमति उनके पास नहीं थी। अभियुक्तगण का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

20. बचावपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियोजनपक्ष की ओर से जो साक्षी प्रस्तुत किये गयें हैं, उनसे अभियोजन

कथानक पूरी तरह से साबित नहीं है। घटना का कोई हेतुक/मोटिव नहीं दर्शाया गया है। अभियोजनपक्ष की ओर से जो साक्षी प्रस्तुत किये गयें हैं, उनके कथनों में घोर विरोधाभाष है। विवेचनाधिकारी द्वारा नियमानुसार उक्त प्रकरण की विवेचना नहीं की गयी है। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को रंजिशन झूॅठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने की याचना की गयी है।

21. बचावपक्ष के तर्को के विरोध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियोजनपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में कोई विरोधाभाष नहीं है। विवेचनाधिकारी द्वारा नियमानुसार विवेचना कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पुलिस द्वारा झूॅठा फंसाये जाने का कोई कारण अभियुक्तगण की ओर से नहीं दर्शाया गया है। इस घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां के भांजे मुबीन इफ्तेखार जैदी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 322 सन 2008 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना हथगाम में अभियुक्तगण शरीफ, रईस पुत्र लतीफ, शफीक, सादिक, संजय शुक्ला, वाजिद अली, साबिर अली, सलाम, मुर्रा उर्फ मोईन, रईस पुत्र मोहम्मद अली, सगीर, निहालउद्दीन, इसराइल, मुन्नू उर्फ सुरेश सिंह, अशोक व बच्छन उर्फ बदरुद्दीन के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है, जिसमें दबाव बनाने के उद्देश्य से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियुक्तगण ने गम्भीर अपराध कारित किया है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

22. अभियोजनपक्ष की ओर से अलीमुननिशां पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी से बचावपक्ष द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है। साक्षी पी०डब्लू०–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''मेरी शादी 7 जून 1996 को हेई थी तब से मै ग्राम पट्टी शाह में रह रही हूॅ। मै पट्टी शाह के

रहने वाले सभी लोगों को नाम से जानती हूॅ ग्राम अकबरपुर चोराई में रहने वाले अजीज, सगीर, खतीफ, शरीफ, नुकरुद्दीन, तेग अली व मोहम्मद अली को मै नाम व शक्ल से पहचानती हूॅ। यह लोग हमेश पट्टी शाह में मज्जू मियां के यहां आते जाते थे। ग्राम हथगाम के रहने वाले कासिम व मोतीउद्दीन को घटना के पहले से कुछ कुछ पहचानती भी ग्राम नरौली के रहने वाले मो०हाई व इन्दाज को भी मै पहचानती थी ये मेरे रिलेशन में आतें हैं। फतेहपुर शहर के रहने वाले मोबीन, मंसूर, मोईन, फरहान उर्फ बासू आदि को भी मै घटना के पहले से जानती थी। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''जुलूस कितने बजे उठा था, मै नहीं बता सकती, जुलूस मेरे घर के सामने चार बजे निकला था। जुलूस में कितने लोग शामिल थे मै नहीं बता सकती, जितने लोगो के नाम मैने ऊपर बताये हैं उसके अतिरिक्त जुलूस में शामिल किसी अन्य व्यक्ति के नाम मै नहीं बता सकती। घटना के दिन यह जुलूस मेरे घर के सामने से केवल एक बार निकला था, फिर वापस भी आया था। जुलूस निकलने के करीब आधे घण्टे बाद वापस आया था। ' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, '' मुझे जानकारी नहीं है मै नहीं बता सकती कि मेरे मेडिकल स्टोर की औसत बिक्री क्या थी जो पैसा मैने लूट का दिखाया है वो उसी दिन के बिक्री का नहीं था बल्कि उस दिन के बिक्री व उधारी का था। उधारी के वसूली का कोई निश्चित दिन नहीं होता है।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मै यह नहीं बता सकती कि इस घटना से सम्बन्धित इसके क्रास केस में मेरे परिवार के कितने लोग अभियुक्त है इस घटना के क्रास केस में मेरे पति साबिर और मेरे जेठ सादिक जेल गये थे, मेरे पति 9 महीने जेल में रहें मेरे जेठ कितने दिन जेल में रहे नहीं बता सकती। इस घटना का गवाह मकदूम मेरे परिवार का है, मकदूम के पिता का नाम वासिक अली है। वासिक अली मेरे सगे जेठ है सकील अहमद मेरे परिवार का नहीं है वह चिकवा परिवार से है। शकील अहमद गवाह ग्राम अमीरगंज मजरे पट्टी शाह का रहने वाला है, शकील अहमद जब सगीर को अभियुक्त मार रहे थे तब आ गया था।।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, '' घटना के समय किस अभियुक्त के पास क्या हथियार थे मै नहीं बता सकती1 घटना के समय

सभी अभियुक्त मेडिकल स्टोर में नहीं घुसे थे। मेरे मेडिकल स्टोर के अन्दर अमीन, मुईन, मसरुर, मोती, फरहान अब्बास उर्फ बासू घुसे थे। कट्टा मुल्जिम अमीन ने मेरे अडाया था। शेष लोगों ने लूटपाट की थी। घटना के समय मेडिकल स्टोर के अन्दर मेरे व अभियुक्तों के अलावा कोई अन्य लोग नहीं थे। मेरे परिवार के अन्य सदस्य मेले में गये थे।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, '' घटना के आधे घण्टे बाद मैने पुलिस को सूचना दी थी। मैने जिस मोबाईल से पुलिस को सूचना दी थी उसका नम्बर नहीं बता सकती क्योंकि मोबाईल चेंज हो गया है1 मेरे द्वारा सूचना देने के कितनी देर बाद पुलिस आयी मै नहीं बता सकती क्योंकि घटना पुरानी हो गयी है। घटना के बाद मेरे घर के अन्दर दो पुलिस वाले एक हेड साहब आये थे। पुलिस आने के आधे घण्टे बाद वापस चली गयी थी। पुलिस गांव के सगीर व रईस को लेकर वापस गयी। घर के अन्दर से लेकर गयी। मेरे मेडिकल स्टोर के बाहर जो घटना हुई उसे मैने देखा। घटना के समय अभियुक्त मोबीन मेरे मेडिकल स टोर के चबूतरे पर था1 घटना के समय अभियुक्त असगर मेरे चबूतरे के नीचे खडा था। अभियुक्त शमशाद व मजहर हैदर मेडिकल स्टोर के चबूतरे के नीचे खडे थे। इस घटना में मजहर हैदर उर्फ मज्जू मियां, रियाज अतहर, सगीर और शमशाद को गोलियां लगी थीं। घटना में कितने देर तक गोली चली मै नहीं बता सकती1 किसके द्वारा चलायी गयी, गोली किसको लगी मै नहीं बता सकती। घटना के दिन घटना में गोली की चोट खाये हुए मजहर हैदर, रियाज अतहर और शमशाद को घटनास्थल से कौन लेकर गया था मै नहीं बता सकती इन तीनों में से किसको कितनी गोली लगी मै नहीं बता सकती यह तीनो लोग गोली लगने के बाद घटनास्थल पर गिर गये थे या नहीं मै नहीं बता सकती। घटना के समय मेरे परिवार में एक लाइसेंसी शस्त्र था।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, '' घटना के दिन घटना के बाद पुलिस दोबारा गांव कब आई हमें नहीं पता है। घटना के बाद दिनांक 12.12.2008 को मैने पहली बार पुलिस को गांव में देखा है। दिनांक 12.12.2008 को पूरी पी०ए०सी० व पुलिस वाले थे मै उनकी संख्या नहीं बता सकती। दिनांक 07.12.2008 से दिनांक 11.12.2008 तक मै घर में नहीं रही क्योंकि मेरा

अपहरण हो गया था। दिनांक 07.12.2008 को शाम 5:00 बजे के आस पास मेरा अपहरण हो गया था मेरा अपहरण घर से हुआ था मेरा अपहरण तीन लोगों ने किया था, जिनके नाम सिकन्दर, नसीम, मोबीन है। उनके पास असलहा थे, लेकिन कौन से असलहा थे मै नहीं बता सकती।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मै पिछले चुनाव में ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी थी, जिस चक्की में मुझे रखा गया था मै उसकी लम्बाई चौडाई नहीं बता सकती। अपहरणकर्ता मुझे चक्की में छोडकर चले गये थे, बीच मे आते जाते थे, दिन में एक दो बार चक्कर लगा जाते थे थे रात में नहीं आते थे। अपहरणकर्ता के गैरमौजूदगी में मै शोर मचाती थी। मेरे अपहरण के बाद नसीम नहीं आते थे सिकन्दर और मुबीन आते थे। मेरे अपहरण में रहने के दौरान मेरे परिवार के लोग घर में थे या नहीं मै नहीं बता सकती। मैने अपहरण से छूटने के बाद अपने घर वालों से पूँछा था कि मेरे अपहरण के दौरान आप लोग कहां रहे परिवार वालो ने बताया कि मेरे पति को पुलिस पकड ले गयी थी। 2–3 दिन बाद परिवाद के अन्य सदस्य रिश्तेदारी में चले गये थे। '' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''यह सही है कि इस घटना के क्रास केस में मेरे पति व जेठ अभियुक्त हैं।'' इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण ने विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रुप में घातक आयुद्धों से सुसज्ति/लैस होकर बलवा किया एवं सगीर अहमद को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं वादिनी मुकदमा अलीमुननिशां के मेडिकल स्टोर में तोडफोड किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा 8वें बकरीद के उपलक्ष्य में जो जुलूस निकाला जा रहा था उसकी कोई विधिक अनुमति उनके द्वारा प्रशासन से प्राप्त नहीं की गयी है, इस सम्बन्ध में बचावपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी है कि जो भी जुलूस उनके द्वारा उस समय निकाला जा रहा था उसकी कोई नियमानुसार अनुमति न होने के कारण वह विधि अनुसार नहीं था।

23. अभियोजनपक्ष की ओर से साक्षी सगीर अहमद को बतौर पी०

डब्लू०–2 परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी से बचावपक्ष द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है। साक्षी पी०डब्लू०–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''मै मुकदमा अपराध संख्या 322 सन 2008 धारा 147,148,149 व 302, 307 व 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट का अभियुक्त हूॅ, जिसका सत्र परीक्षण संख्या 89 सन 2009 इसी न्यायालय में विचाराधीन है।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''दिनांक 08.12.2008 को मेरे जिला अस्पताल फतेहपुर में डाक्टरी मुआयने के समय मुकदमा अपराध संख्या 322 सन 2008 में मै पुलिस अभिरक्षा में था डाक्टरी मुआयने के पश्चात मुझे जेल भेज दिया गया था। मेरे साथ हुई घटना दिनांक 07.12.2008 के सम्बन्ध में मेरे अलावा किसी अन्य ने कोई कार्यवाही अथवा केस प्रस्तुत नहीं किया है। जेल लगभग 8 माह पश्चात रिहा होने के उपरान्त मैने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। वह मुकदमा पुलिस केस में दर्ज हुआ अथवा परिवाद में मुझे नहीं मालुम है। मै इस सत्र परीक्षण में वादी मुकदमा हूॅ, इस मुकदमें में मैने अपने से पहले किसी अन्य को गवाह के रुप में प्रस्तुत नहीं किया है। '' न्यायालय द्वारा पूॅछने पर इस साक्षी ने बताया कि, ''मै अलीमुन निशां को जानता हूॅ इस मुकदमें में अलीमुननिशां की गवाही हो चुकी है।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''दिनांक 07.12.2008 को शाम 4 बजे मै अलीमुलनिशां के मजरा पट्टीशाह स्थित मेडिकल स्टोर पर दवा ले रहा था। उस दिन ग्राम पट्टीशाह में मज्जू मियां के पिता की बरशी का जुलूस निकल रहा था, इस जुलूस में लगभग 28 लोग थे। जुलूस शाम 4 बजे मेरे सामने से गुजरा था। मै उस वक्त कुर्सी पर बैठा था। मज्जू मियां अपने साथियों के साथ असलहों से लैस होकर आ रहे थे। उन्होने मुझे कुर्सी पर बैठा देख अपशब्दों का प्रयोग किया। अलीमुन निशां ने मुझसे पूॅछा कि क्या बात हुई मैने कहा कि मुझसे कोई बात नहीं हुई। इसी समय मज्जू मियां के ललकारने पर ताबडतोड फायरिंग कर दी गयी। जुलूस में शामिल सभी लोग असलहे लिये थे। सभी लोगों ने ताबडतोड फायरिंग की थी। मज जू मियां, शमशाद, अजीज, सगीर के पास बन्दूके थे। अन्य मुल्जिमान नसरुद्दीन तेग

अली, मो अली, मुनव्वर अली, मंसूर अली, जावेद, रियाज अतहर, असगर अली, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, अमीन, मुबीन, मसरुर, फरान अबास उर्फ बासू, इन्दाज, अब्दुल हई , कमल सिंह, शिव सिंह, नसीम, कासिम, मोतीउद्दीन, मुबीन के पास तमंचे थे।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, '' घटना के लगभग 20 मिनट बाद पुलिस मौके पर आयी थी और मुझे पकड लिया था। इस 20 मिनट के दौरान मै अलीमुननिशां के मेडिकल स्टोर पर ही रहा। इस पूरे समय अलीमुल निशां भी मेडिकल स्टोर पर ही रहा। अलीमुननिशां के पति साबिर व जेठ सादिक व घर के अन्य मर्द घटना के समय अथवा घटना के पश्चात मौके पर नहीं रहे। मेरे सामने अलीमुननिशां के मेडिकल स्टोर पर लूटपाट की गयी थी। मेरे सामने अलीमुननिशां का अपहरण नहीं हुआ था। मेडिकल स्टोर के गुल्लक से पचास हजार लूटने की बात मै अलीमुननिशां के चिल्लाने के आधार पर कह रहा हूॅं।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मज्जू मियां की मृत्यु घटना के 2–3 साल बाद बीमारी से हो गयी। रियाज अतहर व शमशाद इसी घटना में घायल हुए थे, उनकी मृत्यु हो गयी अथवा नहीं मुझे नहीं मालुम। मै जेल में था इसलिए मुझे नहीं मालुम है कि मेरे मुकदमा लिखवाने से पहले अलीमुन निशां इस मुकदमें में एफ०आई०आर० करवा चुकी थी। घटना में गोली हमको लग गयी थी। मै चोटहिल पडा था मै नहीं जानता कि घटना में पहले गोली हमारे तरफ के लोगों को लगी या मुल्जिमान की तरफ के लोगों को पहले गोली लगी। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''इस मुकदमें के क्रास केस में मेरे अतिरिक्त 15 अन्य लोग मुल्जिम हैं। इस मुकदमें के क्रास केस में सह–अभियुक्त रईस मेरे दादा का लडका है।'' मुझे नहीं मालुम कि उक्त रईस ने इस घटना से पहले इस मुकदमें के अभियुक्तों सलमान, मसरुर व बासू आदि के विरुद्ध लूट का मुकदमा फतेहपुर कोतवाली से पंजीकृत कराया था। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''घटना के दिन अलीमुननिशां के मेडिकल स्टोर पर मै किसी डाक्टर के पर्चे की दवा नहीं लेने गया था। सर्दी, जुखाम, बुखार की दवा लेने गया था। मेडिकल स्टोर वाले ने अपने मन से दवा दे दी थी। उस समय मेडिकल स्टोर पर अलीमुननिशां बैठी थी।'' इस

साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मेडिकल स्टोर गांव के किनारे पडता है मेडिकल स्टोर के ठीक सामने बाजार का मैदान है। इस मैदान में मण्डी समिति के चबूतरे बने है। उत्तर में साबिर का जो मकान है उक्त साबिर इस केस के क्रास केस का अभियुक्त है। यह साबिर अलीमुननिशां का पति है।' इस घटना के सम्बन्ध में मेरे खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में कार्यवाही हुई थी।'' इस प्रकार इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य निकलकर सामने नहीं आया है, जो कि अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता हो।

24. इसके अलावा अभियोजनपक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–3 साक्षी दिवाकर कनौजिया सेवानिवृत्त प्रभारी निरीक्षक इस मामले के विवेचक है, जिन्होने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 तैयार किया एवं गवाहों के बयान लिऐ तथा विवेचना सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क–8 न्यायालय में प्रेषित किया है। साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 तत्कालीन हेड मोहर्रिर उमेश कुमार मुकदमें के चिक लेखक है। इस साक्षी ने मुकदमा अपराध संख्या 322ए सन 2008 की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी०डी० संख्या 16 दिनांक 29.11.2008 समय 11:10 को क्रमश: प्रदर्श क9 व प्रदर्श क–10 के रुप में साबित किया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6 सुशील कुमार साहू तत्कालीन चीफ फार्मासिस्ट जिला चिकित्सालय फतेहपुर ने मूल मेडिकल लीगल रजिस्टर से रजिस्टर के पेज संख्या 95 पर दिनांक 08.12.2008 पर चोटहिल सगीर अहमद की चोटों की आख्या को डा०जे०एल०एम० कुशवाहा के लेख व हस्ताक्षर में सत्यापित प्रति व रजिस्टर में अंकित उपहति से प्रमाणित कर प्रदर्श क–4 के रुप में साबित किया है। साक्षी पी०डब्लू०–7 सर्वेश शुक्ला एक्सरे टेक्निशियन जिला चिकित्सालय फतेहपुर जिला चिकित्सालय के एक्सरे रिपोर्ट के मूल रजिस्टर से चोटहिल सगीर अहमद की चोटों की एक्सरे रिपोर्ट को डाक्टर के०सी० गुप्ता के लेख व हस्ताक्षर में प्रदर्श क–11 के रुप में साबित किया है। बचावपक्ष द्वारा उक्त साक्षियों पी०डब्लू०–3, पी०डब्लू०–4, पी०डब्लू०–6 व पी०डब्लू०–7 से की गयी प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं निकलकर सामने नहीं

आया है, जो घटना को संदिग्ध बनाता हो।

25. अभियोजनपक्ष की ओर से साक्षी सकील अहमद को बतौर पी० डब्लू०–5 परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी से बचावपक्ष द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी है। साक्षी पी०डब्लू०–5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मुईन उर्फ मुर्रा मेरा सगा भाई व सलाम मेरे पिता है, जो इस केस के क्रास केस सत्र परीक्षण संख्या 89 सन 2009 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता थाना हथगांव के मुल्जिम है। घटना के दिन जुलूस साबिर के दरवाजे से निकल कर गया फिर वापस आया आते व जाते दोनों बार जुलूस में वहीं लोग थे, जो जुलूस में शामिल थे। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''दरोगाजी को मैंने यह बयान दिया था कि ''फायरिंग से मजहर हैदर नकवी उनका लडका रियाज अतहर व गनर शमशाद घायल हो गये थे। सगीर को भी छर्रे लगे थे। यह बयान दरोगाजी ने सही लिखा है।' मैंने यह भी बयान दरोगाजी को दिया था कि रियाज अतहर व गनर शमशाद की मृत्यु हो गयी थी। मैंने अभियुक्तगण को पचास हजार रुपए लूटते नहीं देखा था। यह बात अलीमुलनिशां ने हमको बतायी थी। मैंने अपने बयान में सिकन्दर, मोबीन व नसीम अलीमुलनिशां को पकडकर ले गये यह बात आज न्यायालय में पहली बात बताया है। मेरे सामने वे लोग अलीमुलनिशां को पकड कर ले गये थे। पहले सगीर को पुलिस पकडकर ले गयी उसके बाद सिकन्दर आदि अलीमुलनिशां को पकडकर ले गयें। मुझे नहीं मालुम कि मुल्जिमान अलीमुलनिशां को कितने दिनों तक पकडे रहे। अलीमुलनिशां के पकडने के सम्बन्ध में मैंने अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं है।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मैंने दरोगाजी को बताया था कि, ''मजहर हैदर नकवी, रियाज अतहर व शमशाद को उनके परिवार रिश्तेदार गाडी में लादकर चले गये थे।'' मै इन परिवार व रिश्तेदारों को नहीं पहचानता हूॅ न ही इनके नाम बता सकता हूॅ। मुल्जिमान के भागने के बाद वे रिश्तेदार लोग घायलों को गाडी में लादकर ले गये। 5–10 मिनट बाद रिश्तेदार घायलों को गाडी में लादकर ले गये थे।'' इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन

किया है कि, '' इस घटना की एफ०आई०आर० अलीमुलनिशां घटना के लगभग 6 महीने बाद लिखायी गयी थी। एफ०आई०आर० अलीमुलनिशां ने लिखाई थी।'' न्यायालय द्वारा पूँछने पर इस साक्षी ने कथन किया कि, ''मजरुबों को उनके रिश्तेदारों द्वारा ले जाना मैने अलीमुलनिशां के घर से देखा था। अलीमुलनिशां के घर से 5–10 मिनट बाद मै उसके घर से निकला व तुरन्त ही अपने घर चला गया था।'' इस प्रकार इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा से यह तथ्य साबित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा अलीमुननिशां की दुकान के सामने स्थित बहद ग्राम पट्टीशाह थाना हथगाम जिला फतेहपुर के अन्तर्गत घातक आयुध/असलहों से लैस होकर विधि विरुद्ध सदस्य के रुप में एकत्रित होकर बलवा किया गया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए वादिनी की दुकान के सामने कुर्सी में बैठे सगीर को लात घूँसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित कर मेडिकल स्टोर में तोडफोड कर क्षति कारित की गयी। परन्तु इस साक्षी की साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से पचास हजार की लूट की गयी व उसको जान से मारने की नीयत से उसका अपहरण कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया।

26. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की और से यह तर्क दिया गया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है और देरी का कोई कारण अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं दर्शाया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस मामले से सम्बन्धित क्रास केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हथगाम में मुकदमा अपराध संख्या 322 सन 2008 धारा 147, 148, 149, 302 व 307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट पूर्व से पंजीकृत है। वादीपक्ष की ओर से इस मामले में न्यायालय में प्रार्थनापत्र धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है। प्रार्थनापत्र धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के निस्तारण में विलम्ब होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत मामले में देरी से दर्ज हुई है। इस प्रकार बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में

कोई बल नहीं है।

27. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियोजनपक्ष की ओर से जो साक्षी प्रस्तुत कियें गयें हैं, उनके कथानों में विरोधाभाष है। जबकि बचावपक्ष के इस तर्क का अभियोजन की ओर से विरोध किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि इस प्रकरण की घटना दिनांक 07.12.2008 की है और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने के उपरान्त दिनांक 18.10.2012 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये तथा दिनांक 27.10.2016 को यानि कि घटना के लगभग आठ वर्ष पश्चात साक्षी पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा का बयान, दिनांक 18.07.2019 व दिनांक 26.07.2019 यानि की घटना के लगभग 11 वर्ष पश्चात क्रमश: साक्षी पी०डब्लू०–2 सगीर अहमद व साक्षी पी०डब्लू०–5 शकील अहमद का बयान अंकित किया गया। ऐसे में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी के बयानों में विरोधाभास आना स्वाभाविक है, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है, जो कि अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता हो। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था **खालिद व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (2009) 1 दण्ड निर्णय पत्रिका 374** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि साक्षियों के साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभास व फर्क आ सकता है, मात्र इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। विधि व्यवस्था **तुलाराम बनाम उ०प्र० राज्य इलाहाबाद दण्ड निर्णय 2003 पेज–487** में यह अवधारित किया गया है कि निरक्षर, ग्रामीण साक्षी को समय व दूरी आदि का सक्षम ज्ञान नहीं होता है। अतः उसके किसी एक बात को लेकर उसे ही सही मानकर शेष को अमान्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे साक्षी को सुशिक्षित एवं कुशल अधिवक्ता द्वारा जिरह का सामाना करना पड़ता है तो उसके दवाब के कारण साक्षी कुछ त्रुटिपूर्ण उत्तर भी दे सकता है। विधि व्यवस्था **घरनीधर बनाम उ०प्र० राज्य 2010 (6) ए०सी०जे० 662** में माननीय न्यायालय द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि यदि

साक्षीगण को भिन्न भिन्न तिथियों पर परीक्षित किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में मानवीय स्मृति क्षीण हो जाना स्वाभाविक है और ऐसी क्षीणता के आधार पर साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। विधि व्यवस्था **मेहरवान बनाम उ०प्र० राज्य ए०आई०आर० 1997 सु०को0 1528** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि साक्षी की साक्ष्य में कुछ अतिश्योक्ति, सुधार, अलंकरण तथा कुछ त्रुटियों से ही अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण मामला धराशायी नहीं हो जाता। विधि व्यवस्था **मंजर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2006 (3) अपेक्स कोर्ट जजमेन्ट 574 एस०सी०** में यह अवधारित किया गया है कि साक्षी के साक्ष्य में छोटे–मोटे अन्तर तथा गौण प्रकृति की त्रुटियों के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्षी प्रस्तुत किये गये है उनके कथनों में भारी विरोधाभास है।

28. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि विवेचक द्वारा इस प्रकरण की विवेचना नियमानुसार नहीं की गयी है, घटना का नक्शा नजरी नियमानुसार नहीं बनाया गया है। इस कारण भी अभियोजन कथानक संदिग्ध है तथा अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस प्रकरण की विवेचना विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक पी०डब्लू०–3 तत्कालीन थानाध्यक्ष हथगाम दिवाकर कनौजिया द्वारा की गयी है तथा उनके द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 तैयार किया गया है, जिसमें उन्होने घटनास्थल को नक्शा नजरी में यथास्थान दर्शाया गया है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि विवेचक द्वारा नक्शा नजरी नियमानुसार न बनाया गया हो। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था **दयाल सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य 2012 एस०ए०आर० कि० 772 सु०को०** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विवेचक की त्रुटियों के आधार पर अभियोजन कथानक व साक्ष्य को संदेहास्पद व अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। विधि व्यवस्था **धनंजय सिंह प्रति पंजाब राज्य 2004 एस०सी०सी० कि० 851** में माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि विवेचक द्वारा जानबूझकर विवेचना में लापरवाही की गयी है अथवा दोषपूर्ण विवेचना की गयी है तथा तथ्य के साक्षीगण की विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है तब विवेचक द्वारा किये गये लोप, लापरवाही अथवा दोषपूर्ण विवेचना अभियोजन पक्ष को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगी। इस प्रकार बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना नियमानुसार नहीं की गयी है।

29. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि घटना का कोई हेतुक नहीं दर्शाया गया है और बिना हेतुक के कोई भी व्यक्ति अपराध कारित नहीं करता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस प्रकरण में पी०डब्लू०-1 अलीमुननिशां, पी०डब्लू०-2 सगीर अहमद चोटहिल व पी० डब्लू०-5 शकील अहमद द्वारा घटना अपनी आंखों से देखने का कथन अपनी साक्ष्य में किया गया है और जहॉ पर प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हो वहॉ पर हेतुक महत्वहीन हो जाता है। प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण, जो 8वें बकरीद पर मातमी जुलूस निकाल रहें थे, इस तथ्य से अभियुक्तगण की ओर से इंकार भी नहीं किया गया है। अभियुक्तगण शिया समुदाय से हैं जबकि वादीपक्ष सुन्नी समुदाय से हैं। अक्सर दोनों समुदायों में इस प्रकार के अवसरों पर आपसी मतभेद देखने को मिलता रहा है। इस प्रकार बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

30. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

जहाँ तक बचाव पक्ष के इस तर्क का प्रश्न है कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण को वादीपक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है। पुलिस की अभियुक्तगण से कोई रंजिश रही है ऐसी कोई साक्ष्य बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है और पुलिस द्वारा बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को झूॅठे मुकदमें में क्यों फंसाया जायेगा। इस प्रकार बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई

बल नहीं है कि अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

31. अभियुक्तगण पर अन्य धाराओं के साथ साथ धारा 364, 395, 397 भारतीय दण्ड संहिता का भी आरोप लगाया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा जुलूस के दौरान वादिनी मुकदमा अलीमुननिशां के मेडिकल स्टोर के सामने घातक आयुद्धों से सुसज्जित/लैस होकर विधि विरुद्ध सदस्यों के रुप में एकत्रित होकर सगीर चिकवे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गयी एवं वादिनी मुकदमा के मेडिकल स्टोर में तोडफोड करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी तथा अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के गोल्लक से रुपया पचास हजार लूट लिये गये। इन्हीं लोगों के द्वारा की गयी फायरिंग में रियाज अतहर, मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां, सगीर व शमशाद को चोटें आयीं। अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से उसका अपहरण किया गया और उसे गांव के बाहर बने घर में बन्द कर दिया। दिनांक 11.12.2008 को मौका पाकर वादिनी मुकदमा उस घर से कूरकर बाहर निकल गयी। पुलिस द्वारा की गयी विवेचना में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, जिससे यह दर्शित हो कि मुल्जिमान द्वारा वादिनी मुकदमा के मेडिकल स्टोर में गोल्लक से रुपया पचास हजार की लूट की गयी हो अथवा वादिनी मुकदमा का अपहरण किया गया हो। इसके अलावा स्वयं वादिनी मुकदमा पी०डब्लू०-1 अलीमुन निशां द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट व अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसे अभियुक्तगण द्वारा एक घर में बन्द कर दिया गया था, किन्तु वादिनी मुकदमा कब व किस प्रकार उस घर से बाहर निकलकर आयी, इसका कोई उल्लेख वादिनी मुकदमा द्वारा न अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है और न ही अपनी मुख्य परीक्षा में किया गया है।

32. पी०डब्लू०-2 सगीर अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी, जिससे मौके पर भगदड मच गयी थी। बाद में पुलिस उसी दिन मौके से ही इस साक्षी को पकडकर थाने ले गये फिर यह साक्षी किस आधार पर यह कह रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा

वादिनी मुकदमा के पचास हजार रुपये लूटे गये, इसका कोई उल्लेख इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं किया है। पी०डब्लू०–5 शकील अहमद द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के पचास हजार रुपए लूटे गये और सिकन्दर, मुबीन व नसीम वादिनी मुकदमा का अपहरण करके ले गये और उसको पकडकर कहीं बन्द कर दिया गया। इस साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उक्त तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है तथा साक्षी ने वादिनी मुकदमा के अपहरण व लूट की घटना से स्पष्ट रुप से धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानो में इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में विकास किया है अर्थात तथ्यों को बढा चढाकर न्यायालय के समक्ष बयान दिया है।

33. प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस मामले में घटना की दिनांक 07.12.2008 को अभियुक्तगण द्वारा 8वें बकरीद का मातमी जुलूस निकाला जा रहा था। यह तथ्य दोनों पक्षों को स्वीकार है। इसी मामले से सम्बन्धित एक क्रास केस मुकदमा अपराध संख्या 322 सन 2008 धारा 147, 148, 149, 302 व 307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना हथगाम जिला फतेहपुर भी न्यायालय में लम्बित है, जिसका भी निस्तारण आज ही किया जा रहा है, जिसमें वादीपक्ष के लोगों द्वारा अभियुक्तगण एवं उनके परिजनों पर घातक आयुद्धों से सुसज्जित होकर मारपीट करने व हत्या कारित करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले के अभियुक्तगण साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू व अब्दुल हई एक अन्य मामले में जिला कारागार में निरुद्ध हैं, जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू व अब्दुल हई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जुलूस के दौरान यदि वादीपक्ष द्वारा अभियुक्त एवं उनके परिजनों पर हमला किया गया तो निश्चित रुप से अभियुक्तगण द्वारा भी वादीपक्ष पर जवाबी कार्यवाही किया जाना सम्भाव्य है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से भलीभांति

साबित भी होता है और इससे अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थित भी पूरी तरह साबित होती है।

34. उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा हैं कि अभियुक्तगण ने दिनांक 07.12.2008 को समय लगभग 4:00 बजे दिन स्थान बमुकाम वादिनी मुकदमा अलीमुननिशां की दुकान के सामने स्थित बहद ग्राम पट्टीशाह थाना हथगाम जिला फतेहपुर के अन्तर्गत सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुध/असलहों से लैस होकर विधि विरुद्ध सदस्य के रुप में एकत्रित होकर बलवा किया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए वादिनी की दुकान के सामने कुर्सी में बैठे सगीर को लात घूँसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित कर मेडिकल स्टोर में तोडफोड कर क्षति कारित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण साहिद रजा, खतीफ, रुकनुद्दीन, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली के विरुद्ध धारा 148, 323 सपठित धारा 149, 324 सपठित धारा 149, 504, 506 व 427 भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है एवं अभियुक्तगण साहिद रजा, खतीफ, रुकनुद्दीन, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली को आरोप अन्तर्गत धारा 364, 395 व 397 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण साहिद रजा, खतीफ, रुकनुद्दीन, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली को

आरोप अन्तर्गत धारा 364, 395 व 397 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण साहिद रजा, खतीफ, रुकनुद्दीन, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली के विरुद्ध धारा 148, 323 सपठित धारा 149, 324 सपठित धारा 149, 504, 506 व 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई व सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू सिंह अन्य मामले में जिला कारागार में निरुद्ध है, किन्तु इस मामले में जमानत पर है। अतएव अभियुक्तगण साहिद रजा, खतीफ, रुकनुद्दीन, जावेद, मुनव्वर, असगर अली, मंसूर, गुड्डू सिंह, सलमान, सिकन्दर, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, इन्दाज, अब्दुल हई, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली के बन्धपत्र निरस्त एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू व अब्दुल हई पूर्व से अन्य मामले में जिला कारागार से न्यायालय में प्रस्तुत किये गयें हैं तथा अभियुक्तगण खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित है। उक्त सभी अभियुक्तगण को वर्तमान प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लन्च बाद पेश हो।

दिनांकः 18.06.2026

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

<u>लन्च बाद पुन: प्रस्तुत</u>

पत्रावली दण्डादेश के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं। दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली जिला कारागार फतेहपुर से न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत किये गये। दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू व अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली के विद्वान अधिवक्तागण व उत्तर प्रदेश राज्य के तरफ से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को दण्डादेश के प्रश्न पर सुना गया।

दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू व अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध गरीब व्यक्ति है। अतएव उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली को धारा धारा 148, 323 सपठित धारा 149, 324 सपठित धारा 149, 504, 506 व 427 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया गया है। अतः दोषसिद्ध धारा 148, 323 सपठित धारा 149, 324 सपठित धारा 149, 504, 506 व 427 भारतीय दण्ड संहिता को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

उभय पक्षों के तर्को एवं दोषसिद्ध की पारिवारिक, आर्थिक व

सामाजिक स्थिति तथा मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को पांच–पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक को तीन–तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 149 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को एक–एक वर्ष के कारावास के दण्ड से, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 सपठित धारा 149 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को पांच–पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक को तीन–तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को दो–दो वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक को दो–दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को दो–दो वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक को दो–दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को दो–दो वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक को दो–दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना, मैं न्यायोचित समझता हूँ।

दण्डादेश

(i) दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को पांच–पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक को तीन–तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

(ii) दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 149 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को एक–एक वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

(iii) दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 सपठित धारा 149 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को पांच–पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक को तीन–तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

(iv) दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को दो–दो वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक को दो–दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

(v) दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को दो–दो वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक को दो–दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

(vi) दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 में वर्णित दण्डनीय अपराध में उनमें से प्रत्येक को दो–दो वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक को दो–दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

(vii) उपरोक्त अधिरोपित सभी सजायें (अर्थदण्ड की धनराशि के व्यतिकम की दशा में अधिरोपित कारावास के दण्ड को छोड़कर) साथ–साथ चलेंगी।

(viii) दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली द्वारा अपराध उपरोक्त में जेल में बितायी गयी अवधि को अन्तर्गत धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसकी सजा में समयोजित किया जायेगा।

(ix) इस निर्णय की एक– एक प्रति दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन,

शिव सिंह व मो० अली को अविलम्ब नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जावे।

(x) तद्नुसार दोषसिद्ध साहिद रजा, सिकन्दर, सलमान, रुकनुद्दीन, असगर अली, मोबीन, मसरुर, फरहान अहमद उर्फ वासू, अब्दुल हई, खतीफ, जावेद, मुनव्वर, मंसूर, गुड्डू सिंह, इन्दाज, कासिम, मोतीउद्दीन, शिव सिंह व मो० अली का सजायावी वारण्ट तैयार कर उन्हें नियमानुसार सजा भुगतने हेतु, जिला कारागार फतेहपुर भेजा जाय।

(xi) इस निर्णय की एक प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर को प्रेषित हो।

(xii) इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 230 सन 2012 राज्य प्रति मो० अली आदि की पत्रावली में भी रखी जावे।

दिनांक: 18.06.2026

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक: 18.06.2026

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.06.19 12:32:34 +05'30'